


निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

आदेश 407(4) पटना, दिनांक 1/3/19
सं० सं०-4/विधि-08-138/2018
निदेशालय के आदेश ज्ञापांक-294(4) दिनांक-13.02.2019 के द्वारा किए गए
फार्मासिस्टों के स्थानांतरण में क्रमांक-33 पर अंकित फार्मासिस्ट, श्री ओम प्रकाश
फार्मासिस्ट, बी०एम०पी०-10, पटना की सेवानिवृत्ति की तिथि 1 वर्ष से कम होने के कारण
उनके स्थानांतरण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।


(डॉ० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

ज्ञापांक-4/विधि-08-138/2018 407(4) /स्वा०, पटना, दिनांक 1/3/19
प्रतिलिपि-सिविल सर्जन, पटना एवं सिविल सर्जन, लखीसराय/प्रभारी चिकित्सा
पदाधिकारी, बी०एम०पी०-10/समादेष्टा बी०एम०पी०-10, पटना/कोषागार
पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि-श्री ओम प्रकाश, फार्मासिस्ट, बी०एम०पी०-10, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि-श्री ललित किशोर, विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त
सचिवनिदेशक प्रमुख के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।